

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 30/7/14

क्रमांक एफ 4-1/2014/50-2 : महिलाओं को सशक्त नेतृत्व क्षमता, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत महिलाओं के लिये दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था वर्ष 2014-15 के अकादमिक सत्र से लागू की जाती है। इस प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के लिये योजना संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा बनायी जाएगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ क्रमांक 233/798/वी-5/चार, दिनांक 03/07/2014 के अनुसार जारी की गई।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Bhawanish
(प्रजा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां० क्रमांक एफ 4-1/2014/50-2

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, मान० मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग,
3. महालेखाकार, ग्वालियर/मध्यप्रदेश, भोपाल
4. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा/महिला सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, संभाग - समस्त
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, समस्त मध्यप्रदेश
9. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Bhawanish

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

Bhawanish

११
 // गोपनीय //

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक 4-1/2014/50-2

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2014

--: मंत्रि-परिषद के लिये संक्षेपिका ::--

विषय:- महिला सशक्तिकरण द्वारा राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास में उनकी समान साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण के संबंध में।

दृष्टिपत्र 2018 में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मिशन-5 का लक्ष्य निम्नानुसार है:-

"महिला सशक्तिकरण द्वारा राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में उनकी समान साझेदारी सुनिश्चित करना"

2. दृष्टिपत्र 2018 के सामरिक रणनीति बिन्दु क्रमांक 4.1.1 निम्नानुसार है:-

"महिलाओं की प्रभावशाली सशक्तिकरण का राज्य के विकास में समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता का विकास करना।

उपरोक्त मिशन स्टेटमेंट व रणनीति का प्रथम बिन्दु (4.1.1) के संबंध में विभाग के द्वारा "मुख्य मंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम" के नाम से महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास करते हुए उन्हें राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागेदारी सुनिश्चित करने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्षता में दिनांक 27.12.13 को हुई बैठक में




प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसकी विस्तृत रूपरेखा परिशिष्ट "एक" पर है।

उक्त योजना में प्रस्तावित विषयों पर विस्तृत पाठ्यक्रम (परिशिष्ट-2) तैयार कर योजना के प्रारूप के साथ निम्न विभागों से परामर्श किया गया।

1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. वित्त विभाग
3. योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
4. उच्च शिक्षा विभाग
5. स्कूल शिक्षा विभाग
7. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
8. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
9. किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
10. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
11. पशुपालन विभाग
12. मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग
13. वन विभाग
14. अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
15. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
16. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
17. लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग
18. लोक सेवा प्रबंधन विभाग
19. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
20. खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग
21. सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग
22. खेल एवं युवा कल्याण विभाग

उक्त सभी विभागों के द्वारा योजना के प्रारूप पर सहमति व्यक्त करते हुये साथ ही साथ पाठ्यक्रम के संबंध में तथा अन्य सुझाव भी दिये हैं विभिन्न विभागों के द्वारा दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम तथा



योजना में यथा संभव आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया गया है। विभिन्न विभागों के द्वारा दिये गये अभिमत तथा उन पर महिला बाल विकास विभाग के अभिमत पृथक से परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के द्वारा इस सिलेबस को दिनांक 8.1.14 में हुई अकादमिक कौंसिल की बैठक में अनुमोदन दिया गया। (परिशिष्ट-4)

भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से निम्न पाठ्यक्रम चलाने हेतु सहमति व्यक्त करते हुये अध्यादेश क्रमांक 128 (परिशिष्ट-5) पारित किया है।

1. प्रथम वर्ष - सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी लीडरशिप
2. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष - डिप्लोमा इन कम्युनिटी लीडरशिप
3. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष - बैचलर ऑफ सोशल वर्क लीडरशिप

प्रकरण में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया जो निम्नानुसार है:-

- (1) "आर्थिक रूप से कमजोर" के स्थान पर "गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार" अंकित किया जाना चाहिए।
- (2) प्रस्तावित योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग से पृष्ठांकित कराये जाने चाहिए।


विभाग उपरोक्त अभिमत से सहमत है। योजना में "आर्थिक रूप से कमजोर" के स्थान पर "गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार" अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जावेंगे।

अतः "मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम" योजना का अनुमोदन मंत्रि-परिषद से प्रार्थित है। संक्षेपिका पर मा. मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

(बी.आर.नायडू)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रि-परिषद निर्णय का प्रारूप

निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को सशक्त नेतृत्व क्षमता, राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "मुख्य मंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था 2014-15 के अकादमिक सत्र से लागू किया जाय।


6/2/14.
प्रमुख सचिव
मंत्र शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
म.प्र. गणराज्य, भोपाल

संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं

सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई मेल - dirtadp@mp.gov.in

Phone - 0755-2551547, Fax -0755-2551569

क्रमांक/अनु./वि.के.स./न.क.197/2015-16/

भोपाल, दिनांक

आदेश

वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना क्रमांक-5211 से राशि रु. 453.775 लाख (रुपये चार करोड़ पचास लाख सतत्तर हजार पांच सौ मात्र) का आहरण कर कुल सचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना म.प्र. हेतु, शासन की यू.ओ. टीप क्रमांक 504/पी.एस./टी.डब्ल्यू.डी. 2014 दिनांक 15.04.2015 द्वारा स्वीकृति अनुसार, कुल सचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना म.प्र. को बैंक के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह राशि कुल सचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना म.प्र. उनके प्रस्ताव दिनांक 23.03.2015 अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु E-Learning and Training Center की स्थापना के लिए (अनावर्ती व्यय) हेतु राशि रु. 269.30 लाख, Equipment & Tools के लिए राशि रु. 22.15 लाख, आवर्ती व्यय राशि रु.124.80 लाख एवं अन्य व्यय हेतु राशि रु. 37.525 लाख, कुल राशि रु. 453.775 लाख प्रदान की जा रही है।

राशि का आहरण निम्न बजट शीर्ष से किया जायेगा :-

कल्याण संख्या-41 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (02)-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, (794)-जनजाति विकास योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, 0602-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशियों से पोषित (5211)- आई.टी.डी.पी./माडा पाकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम # 51 अन्य प्रभार"।

(आयुक्त-सह-संचालक द्वारा अनुमोदित)



अपर संचालक

आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17-4-15

क्रमांक/अनु./वि.के.स./न.क.197/2015-16/184

सिलिलिपि :-

महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।

वित्तीय सलाहकार, ग0प्र0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

कुल सचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना म.प्र. को बैंक खाते में उपलब्ध कराई जा रही राशि की जानकारी तत्काल भिजवाने व आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आहरण एवं राशिवरण अधिकारी, संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उक्तानुसार आहरण एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही हेतु।

कोषालय अधिकारी, विख्यात भवन, कोषालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

कु. कुंस्ताव गु. न. न. 2015 (उत्तियां) अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जाय



अपर संचालक

आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं

मध्यप्रदेश, भोपाल

